न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–70/2014–15

कृष्णा प्रसाद बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट तारीख सहित
1	2	3

आदेश

5.4.18 प्रस्तुत अपील वाद कृष्णा प्रसाद, पिता स्व0 चंदेश्वर राय, ग्राम–दाउदपुर, थाना–शाहपुर, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, वार्ड सं0 03, नगर परिषद, दानापुर, अनुज्ञप्ति सं0 52/07 (रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 1160(आ0) दिनांक 23.09.2014 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2007 की कंडिका–15 एवं जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001 की कंडिका–11 के अंतर्गत दाखिल किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, अभिलेख का अवलोकन किया। कालबाधित आवेदन को स्वीकृत करते हुए, अपील वाद को प्रतिहरित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 18.02.2015 निर्धारित की गयी।

अपीलकर्ता ने अपने अपील अंकित किया है कि पूर्व में अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञाप सं0 769 दिनांक 26.08.2013 द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी थी। जिसे समाहर्ता न्यायालय द्वारा ई0सी0 अपील वाद सं0 32/2013–14 में दिनांक 27.04.2014 को पारित आदेश द्वारा निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए, विधिसम्मत निष्पादन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को प्रतिप्रेषित (Remand) किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने अपील वाद में पारित आदेश के आलोक में विक्रेता से कार्यालय पत्रांक 924(आ0) दिनांक 16.08.2014 द्वारा निम्नलिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने के लिए कहा :–

(1) लाभुकों को B.P.L. खाद्यान्न पच्चीस किलो के स्थान पर बीस किलो दिया जाना, जो कि निर्धारित मात्रा से कम है।

(2) कुछ लाभुकों से जबरदस्ती उनके कूपन फाड़कर रख लिया जाना।

(3) लाभुकों को निर्धारित खाद्यान्न की दर से अधिक की राशि वसूल करना।

(4) किरासन तेल लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक की राशि वसूल करना

(5) राशन–किरासन, वितरण–बही में फर्जी आंकड़ा का प्रविष्टी करना।

(6) राशन–किरासन का कालाबाजारी किया जाना।

अपीलकर्ता का कथन है कि उन्होंने स्पष्टीकरण में उक्त अनियमिताओं का खण्डन करते हुए, यह भी लिखा कि उनके विरूद्ध किसी भी लाभुकों द्वारा

शिकायत नही की गयी है। उनका कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अंत में अपीलकर्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश को निरस्त करते हुए, उनके अपील को प्रतिग्रहित कर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

दिनांक 01.03.2018 को उभय पक्ष के अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि पूर्व में दायर अपील में पारित आदेश के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों पर विचार किए बिना उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा समाहर्ता के न्यायालय, पटना के ई०सी० अपील वाद सं० 32/2013-14 में प्रतिप्रेषित (Remand) के उपरान्त अपीलकर्ता को सुनकर सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त उनके विरूद्ध प्रतिवेदित अनियमितताओं को प्रमाणित पाते हुए वर्तमान आदेश पारित किया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलकर्ता द्वारा बरती गयी अनियमितताएँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध अपीलकर्ता का आवेदन, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण से अनियमितताओं के खण्डन के साक्ष्य स्वरूप कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि जाँच प्रतिवेदन मे उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए लिखित कथन से उनके द्वारा बरती गयी अनियमितता की पुष्टि होती है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित अनियमितताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों के आलोक में प्रमाणित पाते हुए आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/4/18

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

5/4/18

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।